


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री के सुलाल विपक्षी जालुराम
 स्म मुकदमा 212 P.T. No. पत्रावली संख्या 175/15 सन् _____

शंक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><u>12/3/25</u> पत्रावली पेश <u>वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/वादी/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारी/अधिकारी</u> महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में पंक <u>28/3/25</u> को पेश हो। B/o 2</p> <p><u>28/3/25</u> आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक <u>16/5/25</u> को पेश हो। B/o 2</p> <p><u>16/5/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>6/6/25</u> को पेश हो। B/o 2</p> <p><u>6/6/25</u> तक्रुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>05/7/25</u> के लिखे मौफा चाहते है। अतः <u>18/7/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रापली दि. <u>18/7/25</u> को पेश हो। (SDE) मावली</p> <p><u>18/7/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>19/9/25</u> को पेश हो। B/o 2</p>	

12/9/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष के तन द्वारा
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 27/10/25 को पेश हो।

210
2

27/10/25
बहुल्य वादी/प्रतिवादी उप. ~~अप. 27/10/25~~
के लिये मौका चाहते हैं। अतः ~~अति. 27/10/25~~
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 12/11/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

Met. 27/10/25
27/10/25

12/11/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जर्धी
उपस्थित। अधिवक्ता जर्धी द्वारा उपस्थित होकर
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर ~~अप. 27/10/25~~
किया। अतः अधिवक्ता जर्धी द्वारा कोई कार्यवाही
नहीं चाहने से प्रकरण को आगे चलाये जाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपर पत्रावली
को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम है।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली